

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchchatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi

Dated: 08th July, 2025

NOTIFICATION

No. 9-13/2025-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application dated 31.10.2023 was submitted by Bodhi Niketan Trust on UGC's Portal for grant of Institution Deemed to be University status under general Category in the name of Kristu Jayanti, K. Narayanapura, Kothanur P O, Bengaluru, Karnataka under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. **And whereas,** UGC, vide its letter No. 26-5/2023 (CPP-I/DU) dated 11.04.2025, informed that the application was examined by its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Expert Committee observed that there is a gap of 2nd and 3rd cycle of NAAC Accreditation of Kristu Jayanti, Bengaluru, Karnataka, hence, the Committee did not recommend for deemed to be University status under the UGC Regulations, 2023.

4. **And further whereas,** Ministry, vide letter dated 03.06.2025 requested certain clarification from UGC regarding fulfilment of eligibility conditions by the Institution. In response, UGC vide its letter No. 26-5/2023(CPP-I/DU) dated 23.06.2025 informed that the gap period between two cycles of NAAC accreditation was condoned by NAAC in case of Kristu Jayanti, Bengaluru, Karnataka.

5. **Now, therefore,** in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, considering the clarifications provided by UGC, hereby declares Kristu Jayanti, K. Narayanapura, Kothanur P O, Bengaluru, Karnataka as an Institution deemed to be University under general category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. Kristu Jayanti, Bengaluru shall not admit students in the professional courses before obtaining the approval of relevant statutory body, wherever applicable.
- ii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iii. Kristu Jayanti, Bengaluru shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.



- iv. The academic programmes to be offered at Kristu Jayanti, Bengaluru shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- v. Kristu Jayanti, Bengaluru shall align its courses with National Education Policy-2020.
- vi. Kristu Jayanti, Bengaluru shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Kristu Jayanti, Bengaluru.
- viii. Kristu Jayanti, Bengaluru shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. Kristu Jayanti, Bengaluru shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. Kristu Jayanti, Bengaluru shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xi. Kristu Jayanti, Bengaluru shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

पुनर्विजय


(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 23383432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
2. The Secretary, Bodhi Niketan Trust, CMI Ashram, K. Narayanapura, Kothanur P.O., Bangalore - 560077
3. The Principal, Kristu Jayanti College Autonomous, K. Narayanapura, Kothanur P O, Bengaluru, Karnataka

4. The Vice-Chancellor, Bengaluru North University, Tamaka, Kolar, Karnataka - 563103
5. The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Karnataka
6. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
8. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
9. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
10. Guard file / Notification file.



(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: +91 11 23381578

(भारत के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई, 2025

अधिसूचना

सं. 9-13/2025-यू.3(ए): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण संस्था को सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत क्रिस्टु जयंती, के. नारायणपुरा, कोठानूर पीओ, बेंगलुरु, कर्नाटक के नाम पर सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर बोधि निकेतन ट्रस्ट द्वारा दिनांक 31.10.2023 को एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 11.04.2025 के अपने पत्र संख्या 26-5/2023 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार इसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन की जांच की गई। विशेषज्ञ समिति ने पाया कि क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु, कर्नाटक के एनएएसी प्रत्यायन के दूसरे और तीसरे चक्र में अंतर है, इसलिए, समिति ने यूजीसी विनियम, 2023 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने की सिफारिश नहीं की।

4. और आगे जबकि, मंत्रालय ने दिनांक 03.06.2025 के पत्र के माध्यम से संस्था द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा करने के संबंध में यूजीसी से कुछ स्पष्टीकरण का अनुरोध किया। उत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 23.06.2025 के अपने पत्र संख्या 26-5/2023 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि एनएएसी प्रत्यायन के दो चक्रों के बीच अंतराल अवधि को एनएएसी द्वारा क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु, कर्नाटक के मामले में माफ कर दिया गया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों पर विचार

शुभ

करते हुए, एतदद्वारा क्रिस्टु जयंती, के नारायणपुरा, कोठानूर पीओ, बेंगलुरु, कर्नाटक को सामान्य श्रेणी के तहत एक संस्था के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु प्रासंगिक सांविधिक निकाय, जहां भी लागू हो, का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।
- ii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय/ या इसके घटक शिक्षण इकाइयों के संस्थान की परिसंपत्ति या निधि / राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iii. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने की प्रकृति की हो।
- iv. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों / निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- v. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vi. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त कराने के लिए जैसा भी मामला हो, समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएगा,
- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- viii. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी को एमओए प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित या संशोधित करेगा।
- ix. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

प्रक्रिया

xi. क्रिस्टु जयंती, बेंगलुरु अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दे

प्रतिकर्षण

(पूर्णदु किशोर बनर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002.

प्रति प्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
2. सचिव, बोधि निकेतन ट्रस्ट, सीएमआई आश्रम, के. नारायणपुरा, कोथनूर पी.ओ., बेंगलुरु - 560077
3. प्राचार्य, क्रिस्टु जयंती कॉलेज स्वायत्त, के. नारायणपुरा, कोथनूर पी.ओ., बेंगलुरु, कर्नाटक
4. कुलपति, बेंगलुरु उत्तर विश्वविद्यालय, तमका, कोलार, कर्नाटक - 563103
5. प्रमुख सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार
6. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
7. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002
9. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सीएमआईएस यूनिट को इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
10. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल

रंजन

(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: +91 11 2338 1578